लेवी चीनी के हटने से गरीबों के लिए बढ़ेगी मुश्किल

पीडीएस में गरीब उपभोक्ताओं को बांटने के लिए मिलें लेवी चीनी नहीं दे रही हैं, बल्कि सरकारें खुले बाजार से खरीदकर इसका भार उठा रही हैं

केंद्र सरकार गरीबों को वितरण के लिए राज्यों द्वारा खरीदी गई बाजार भाव की चीनी के लिए अतिरिक्त सब्सिडी देने की कतई इच्छुक नहीं है। इस तरह राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्य से महंगी चीनी खरीदने पर इसका अतिरिक्त वित्तीय भार स्वयं ही उठाना होगा। चीनी उद्योग को डिकंट्रोल करके मिलों को लेवी चीनी की अनिवार्यता से मुक्त करने का यह सीधा परिणाम सामने आने वाला है।

दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वितरण के लिए सरकार कम मूल्य पर मिलों से अनिवार्य रूप से लेवी चीनी खरीदती थी। मिलें सस्ते दामों पर बेची जाने वाली चीनी के घाटे की भरपाई खुले बाजार में बकाया स्टॉक बेचकर लेती थीं। लेकिन मिलें सरकार को सस्ते दामों पर चीनी देना ही नहीं चाहती थीं। इस वजह से मिलें कई वर्षों से इस बाध्यता को खत्म करने और दूसरे उद्योगों की तरह उन्हें नियंत्रण मुक्त करने की मांग करती रही थीं। आखिर सरकार ने पिछले साल डिकंट्रोल करके खुले बाजार में कभी भी चीनी बेचने की अनुमति देने के साथ ही सस्ते दामों पर लेवी चीनी बेचने की बाध्यता खत्म कर दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 13.50 रुपये प्रति किलो के भाव पर गरीबों को बेची जाने वाली चीनी खुले बाजार से खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों पर ही डाल दी और तय किया कि खुले बाजार से खरीदी जाने वाली चीनी के लिए राज्यों को वे अधिकतम 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से घाटे की भरपाई सब्सिडी के तौर पर की जाएगी। सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए खुले बाजार से खरीद के लिए चीनी का अधिकतम मूल्य 32 रुपये प्रति किलो माना। लेकिन कई राज्यों को खुले बाजार से इस सीमा से ज्यादा कीमत पर चीनी मिल पाई। ये राज्य केंद्र सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी देकर घाटे की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। जिसे केंद्र मानने को तैयार नहीं है।

पिछली लेवी चीनी व्यवस्था के तहत केंद्र या राज्य सरकारों पर इस तरह का कोई भार नहीं आता था। मिलों से खरीदी जाने वाले चीनी के मूल्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती थी और इसमें बढ़ोतरी की जाती थी। खुले बाजार में रोजाना की मूल्य में उथल-पुथल से पीडीएस की सप्लाई प्रभावित नहीं होती थी। मिलें लेवी चीनी के घाटे की भरपाई खुले बाजार से पूरी तरह कर लेती थीं। फिर भी वे लेवी चीनी व्यवस्था हटवाने के लिए लगातार दबाव डालती रहीं। डिकंट्रोल के तहत लेवी चीनी व्यवस्था खत्म करने से मिलों को तो इससे मुक्ति मिल गई लेकिन अब यह मामला राज्य व केंद्र सरकार के बीच फंस रहा है। सस्ती चीनी वितरण के लिए केंद्र व राज्यों के बीच खींचतान का असर अंततः आम लोगों पर ही पड़ने वाला है। खुले बाजार में मूल्य की उथल-पुथल के चलते राज्यों को पीडीएस चीनी के दाम बढ़ाने की अनुमति मिलती है तो गरीब उपभोक्ताओं की जेब पर इसका भार पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार अपने खजाने से घाटे की भरपाई करेगी। अंततः इसका भी भार आम लोगों पर ही पड़ेगा। इस तरह लेवी चीनी व्यवस्था खत्म करने से मिलों को राहत है तो गरीबों की आफत।

Business Bhaskar
6/9/13